न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1—अपील डिक्री / टीए / 5077 / 2004 / जोधपुर

1— खमुराम
2— पांचाराम | पुत्रगण बरसिंगाराम
जाति बिश्नोई निवासीगण भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।

—अपीलांट्स

बनाम

1— बीरबल (मृतक) पुत्र लिछमरणराम जरिये वारिसानः—
1 / 1— श्रीमती चनणी बैवा बीरबल
1 / 2— मोहन
1 / 3— जगदीश | पुत्रगण बीरबल
1 / 4— बुधाराम
1 / 5— मालाराम
1 / 6— सैना पुत्री बीरबल पत्नी गोपीराम
समस्त जाति बिश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
1 / 7— पप्पूड़ी पुत्री बीरबल पत्नी गोपीराम जाति खिलेरी बिश्नोई निवासी ग्राम भीकमकौर तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

2— मंगलाराम (मृतक) पुत्र गुलाबाराम जरिये वारिसानः—
2 / 1— खानूराम
2 / 2— नानूराम | पुत्रगण मंगलाराम
2 / 3— रामलाल
समस्त जाति बिश्नोइ निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

3— भींयाराम (मृतक) पुत्र गुलाबाराम जरिये वारिसानः—
3 / 1— जोराराम
3 / 2— हीराराम | पुत्रगण भींयाराम
3 / 3— भारमलराम
3 / 4— पारसराम
3 / 5— श्रीमती सुगनी बैवा भींयाराम
समस्त जाति बिश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
3 / 6— शांति पुत्री भींयाराम पत्नी बलवंतराम बिश्नोई निवासी लोहावट तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
3 / 7— केवली पुत्री भींयाराम पत्नी बालूराम बिश्नोई निवासी जांबा तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।

4– बख्ताराम पुत्र बरसिंगाराम बिश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, फलोदी।

–रेस्पोडेंट्स

2–अपील डिक्री/टीए/5855/2004/जोधपुर

1– खमुराम
2– पंचाराम | पुत्रगण बरसिंगाराम
जाति बिश्नोई निवासीगण भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।

–अपीलांट्स

बनाम

1– बीरबल (मृतक) पुत्र लिछमरणराम जरिये वारिसानः–
1/1– श्रीमती चनणी बैवा बीरबल
1/2– मोहन
1/3– जगदीश | पुत्रगण बीरबल
1/4– बुधाराम
1/5– मालाराम
1/6– सैना पुत्री बीरबल पत्नी गोपीराम
समस्त जाति बिश्नोई निवासी भोजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर हाल जिला फलोदी।
1/7– पप्पूड़ी पुत्री बीरबल पत्नी गोपीराम जाति खिलेरी बिश्नोई निवासी ग्राम भीकमकौर तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
2– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, राजस्व, फलौदी, जिला जोधपुर।

–रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री ओ.एल. दवे एवं श्री गौरव दवे, अभिभाषकगण रेस्पोडेंट्स संख्या 1/1 से 1/5

निर्णय

दिनांक– 1–7–2025

हस्तगत दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी,जोधपुर द्वारा अपील 159/2004, 192/2004 उनवानी

बीरबलराम बनाम खमुराम में पारित एक समान निर्णय दिनांक 16–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

चूंकि दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के तहत् एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरजासर के आराजी खसरा नंबर 281 रकबा 198 बीघा 19 बिस्वा आया हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी एवं प्रतिवादी किशनाराम सगे भाई है। आपसी सहमति एवं बंटवारे के आधार पर रेस्पोडेंट/वादी पूर्वी हिस्से पर तथा प्रतिवादी किशनाराम पश्चिमी हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी किशनाराम ने अपने हिस्से का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 मंगलाराम व रेस्पोडेंट संख्या 3 भींयाराम को कर दिया गया। उक्त बेचान के आधार पर उक्त खसरा नंबर के खातेदारी अधिकार राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर दिये गये। इसकी जानकारी वादी/अपीलांट को होने पर उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम वापस करा दी गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी किशनाराम ने दोबारा उक्त खसरा की अपने हिस्से की पश्चिम दिशा की भूमि रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को कर दिया गया, जिसका कब्जा भी रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को मौके पर संभला दिया गया एवं उसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 147 भरा गया। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 281 की पूर्वी हिस्से की रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 127/79 'बीरबलराम बनाम खमुराम वगैरह' दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त वाद का प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 281 में से रकबा 40 बीघा भूमि वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 को रूपये 900/– में बेचान कर कब्जा संभलाकर दिनांक 15–2–1971 को विक्रय–पत्र. तहरीर कर रजिस्ट्री करवा दी थी, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर उनके नाम खातेदारी के इन्द्राज खसरा नंबर

281/2 रकबा उक्त 40 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1— आया ग्राम बरजासर तहसील फलोदी के खसरा नंबर 281 रकबा 198 बीघा 19 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् पूर्वी तरफ की 99 बीघाा 9 बिस्वा भूमि का वादी खातेदार घोषित होने का हकदार है। — वादी

2— आया वादी अपने उक्त पूर्वी तरफ के हिस्से बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। — वादी

3— आया वादी ने दिनांक 16—2—1971 को खसरा नंबर 281 में से अपने हिस्से की भूमि में से 40 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में कर दिया तथा कब्जा भी सौंप दिया। अतः यह वाद चलने काबिल नहीं है। — प्रतिवादी

4— दादरसी

दिनांक 2—3—1994 को अपीलांट्स/वादी द्वारा उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 92—ए के तहत् पश्चात्वर्ती वाद संख्या 46/83 बउनवानी 'खमुराम, पांचाराम बनाम बीरबल' प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 46/83 दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा पश्चात्वर्ती वाद संख्या 46/83 एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1— आया वादी ग्राम बरजासर तहसील फलोदी स्थित खसरा नंबर 281/2 रकबा 40 बीघा भूमि, जो कि वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है, बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। — वादी

2— आया वादी ग्राम बरजासर द्वारा कथित रजिस्टर्ड खरीद दस्तावेज दिनांक 15—2—1971 फर्जी होने से प्रतिवादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है। — प्रतिवादी

3— आया इसी भूमि बाबत् इसी न्यायालय में एक पूर्व वाद 127/79 विचाराधीन होने से यह वाद नहीं चल सकता। — प्रतिवादी

4– दादरसी।

वाद संख्या 127/79 बउनवानी बीरबलराम बनाम खमुराम वगैरह एवं वाद संख्या 46/83 बउनवानी खमुराम वगैरह बनाम बीरबल के संबंध में प्रस्तुत दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा अपने आदेश दिनांक एवं डिक्री दिनांक 24–6–2004 द्वारा रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 127/79 खारिज किया गया तथा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 46/83 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी बीरबल को आराजी खसरा नंबर 281/2 रकबा 40 बीघा भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2004 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या क्रमशः 159/2004 एवं 192/2004 प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16–10–2004 द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2004 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 46/1983 खारिज करते हुए वाद संख्या 127/1979 स्वीकार किया गया तथा रेस्पोडेंट बीरबलराम को आराजी खसरा नंबर 281 रकबा 198 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा बरजासर के पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2004 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4– अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 127/1979 में तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय एक साथ किया। चूंकि दोनों को साबित करने का भार वादी पर था और अपीलांट/प्रतिवादीगण के हक में रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर इन्द्राज दर्ज हो चुका था। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दस्तावेजों, विक्रय–पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि ई.एक्स.ए–1, जमाबंदी संवत् 2034–36 व 2038–41 व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरांत खसरा नंबर 281

रकबा 198 बीघा 18 बिस्वा पर बीरबलराम के 1/2 हिस्सा रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा में से रकबा 40 बीघा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र अपीलांट/प्रतिवादी के हक में करना व बेचान की तारीख से कब्जा देना साबित मानते हुए और बेचान के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 157 द्वारा खमुराम व पांचाराम पिता बरसींगाराम के नाम दर्ज इन्द्राजात के 1/2 हिस्से में से रकबा 40 बीघा भूमि पर खमुराम व पांचाराम पिता बरसींगाराम की खातेदार काश्तकार दर्ज पाये जाने तथा वादी द्वारा तनकी साबित नहीं करने के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया गया। किन्तु राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामे की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य से साबित नहीं करना मानते हुए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को शून्य घोषित कर दिया और तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में कर दिया गया। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का बेचान दिनांक 15–2–1971 को बीरबलराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र अपीलांट/प्रतिवादीगण के हक में कर दिया था तथा इसी तरह खसरा नंबर 281 के हिस्सेदार किशनाराम द्वारा भी अपने संपूर्ण 1/2 हिस्से रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 मंगलाराम व रेस्पोडेंट संख्या 3 भींयाराम के हक में कर दिया था तथा गलती से उक्त किशनाराम के बेचाननामें के आधार पर खसरा नंबर 281 के संपूर्ण रकबा 198 बीघा 18 बिस्वा का इन्द्राज किशनाराम के हिस्से के खरीददार के हक में जरिये इंतकाल संख्या 56 दिनांक 12–6–1979 द्वारा दर्ज कर दिया गया, जिसे बाद में सुधार करते हुए रेस्पोडेंट संख्या मंगलाराम व रेस्पोडेंट संख्या 3 भींयाराम के नाम किशनाराम के हिस्से अर्थात् 1/2 हिस्से पर दर्ज कर दिया गया तथा अपीलांट्स का नाम जरिये इंतकाल संख्या 157 बीरबल के हिस्से रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा में से रकबा 40 बीघा रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर दर्ज कर दिया गया। उक्त कारणों से अपीलांट्स के हक में हुए बेचान का इन्द्राज देरी से हो सका और इसका नाजायज फायदा उठाने हेतु वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। परन्तु रेस्पोडेंट बीरबल ने आज तक विक्रय–पत्र को खारिज करने हेतु न तो कोई सिविल कोर्ट में दावा पेश किया है और न ही इसे फर्जी बताकर कोई एफ.आई.आर. ही दर्ज करवाई है। इसी तथ्य एवं बेचाननामें को सही मानते हुए विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलौदी ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया है। परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त

योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–10–2004 निरस्त किया जावे।

5– रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि वादी बीरबलराम ने कोई पंजीकृत विक्रय–पत्र खमुराम के पक्ष में कभी निष्पादित नही किया है तथा खसरा नंबर 281 रकबा 198 बीघा 19 बीस्वा के रेर्कोडेड खातेदार 1/2 हिस्से का बीरबलराम पुत्र लक्ष्मणराम व 1/2 हिस्से के मंगलाराम, भींयाराम पुत्रान गुलाबाराम थे। खमुराम वगैरह जो 40 बीघा आराजी पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा खरीदना बताते हैं, उस बाबत् असल विक्रय–पत्र जिसका पंजीयन कराया जाना जाता है किसी भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही हुआ है और खमुराम का यह कहना है कि वो दस्तावेज हमारी ढाणी में रखे गये थे, वो जलने के कारण नष्ट हो गये हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होने तथाकथित विक्रय–पत्र के साक्षी हरजीराम डी.डब्लयू.–1 को प्रस्तुत किया था, उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने असल दस्तावेज देखा ही नही है। जब देखा ही नही तो साक्ष्य डालने का कथन विश्वनीय नही रहता है। उनका यह भी कथन है कि जो रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, उसकी सत्यता के बाबत् पंजीकृत कार्यालय से इस दस्तावेज को लाकर इस प्रमाणित प्रतिलिपी को प्रमाणित केवल उप पंजीयक कार्यालय का कोई भी लिपिक अथवा अधिकारी आकर ही प्रमाणित कर सकता था किंतु ऐसी कोई गवाह दस्तावेज को प्रमाणित करने के बाबत पेश नही की गई है। खमुराम स्वयं भोजासर का रहने वाला है। ऐसी स्थिति में उसका यह कहना कि उसकी ढाणी जो भीयासर में है, उसमें असल दस्तावेज जल गया था, विश्वनीय नही रहता है। जो आदमी जहां रहता है वहीं वो अपने दस्तावेज भी रखता है। उनका कथन है कि खमुराम की दोनो कथन विरोधाभासी इसलिए भी है कि भींयासर में उसका पक्का मकान नही है और भोजासर में वहां रहता है वहां पक्का मकान है तथा एक अन्य प्रकरण में उसने जवाबदावा सन 1990 मे प्रस्तुत किया, जिसमें असल दस्तावेज मकान के विक्रय–पत्र का उसकी ढाणी में जलने का कोई उल्लेख ही नही किया गया है। ऐसी स्थिति में जब एक जवाबदावे में कहता है दस्तावेज ढाणी में जल गया और दूसरे में कहीं जलने का जिक भी नही करता है। वादी बीरबलराम ने जो असल वाद पेश किया था, जिसकी फोटो प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि उसका दावा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ–साथ धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

1955 का भी था। मगर धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के बाबत न तो कोई तनकी बनाई गई है और न ही उस संबंध में कोई निर्णय पारित किया गया है। जबकि वादी बीरबलराम वादग्रस्त आराजी में जो भी उसका हिस्सा आराजी में बनता है, उसके संबंध में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत डिक्री पाने का अधिकारी है। ऐसे में विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जी द्वारा अपील को स्वीकार करने में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नही की गई है। उन्होंने आदेश 41 नियम 27 के तहत् प्रार्थना–पत्र के साथ दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि वे सार्वजनिक दस्तावेज हैं, उनको अभिलेख पर लिया जावे। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। इन दस्तावेजात में जमाबंदी संवत् 2071–78, खसरा गिरदावरी संवत् 2078 तथा तहसीलदार, फलौदी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 28–7–2021 की प्रमाणित प्रतियां हैं। उक्त सभी राजकीय दस्तावेज हैं तथा उनकी सत्यता पर कोई संदेह भी नहीं है। अतः उन्हें अभिलेख पर लिये जाते हैं। अधिवक्ता अपीलांट रिबिटल में कोई दस्तावेज पेश करना नहीं चाहते हैं। तत्पश्चात् पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में सहायक कलेक्टर, फलौदी के समक्ष दो वाद दायर किए गए। प्रथम वाद संख्या 127/1979 उनवानी बीरबल राम बनाम खमूराम व अन्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 व 188 का प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि खसरा नंबर 281 की पूर्वी तरफ की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी बीरबलराम की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 खसरा नंबर 281 की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार की दखलादांजी नहीं करे। द्वितीय वाद संख्या 46/1983 उनवानी खमूराम वगेरा बनाम बीरबल अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर द्वारा दोनों दावों को आदेश दिनांक 2–3–1994 द्वारा दावे में पक्षकार द्वारा चाही गई रिलीफ एक समान होने से पूर्ववर्ती वाद संख्या 127/79 के साथ समेकित कर दिया गया। उक्त दावे के जबावदावे में प्रतिवादी 1 व 3 द्वारा यह कथन किया कि वादी खसरा नंबर 281 में से अपने निस्फ हिस्से की भूमि में से 40 भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचान विक्रय कर चुका है एवं जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज हो चुके हैं। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र

को निरस्त कराये बिना वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया है एवं वादी के उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इसलिए वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से दावा खारिज किया जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2034 से 2036 के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 281 की 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर मंगलाराम, भींयाराम पि0 गुलाबराम कौम बिश्नाई का नाम दर्ज है एवं नामान्तरकरण संख्या 145 के द्वारा सम्पूर्ण खाता किसनाराम बीरबल पि0 लिछमण बिसनोई सा0 भोजासर के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 14 के द्वारा खसरा नंबर 281 में से 99 बीघा 4 बिस्वा मंगलाराम भीयाराम पि0 गुलाबाराम के नाम किसनाराम के हिस्से में मंजूर हुआ एवं नामान्तरकरण संख्या 147 से बीरबल पुत्र लिक्ष्मण के नाम खसरा नंबर 281 में से 99 बीघा 5 बिस्वा मंजूर हुआ। उक्त जमाबन्दी के अनुसार बीरबलराम व किशनाराम का खसरा नंबर 281 रकबा 99 बीघा 9 बिस्वा में 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज होना प्रकट होता है।

तत्पश्चात् जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 में खसरा नंबर 281/2 रकबा 40 बीघा पर खमूराम, पांचाराम पि0 बरसींगाराम कौम विश्नोई सा0 भोजासर खातेदार जरिए नामान्तरकरण संख्या 157 से दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध बेचाननामें की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपने हिस्से 99 बीघा 5 बिस्वा में से 40 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका है, जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है।

इस प्रकार अपीलाण्ट हस्तगत प्रकरण में एक रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करा चुका था। लेकिन इसके बाबजूद रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 15–2–1971 को विक्रय किए जाने के पश्चात् दिनांक 15–9–79 को सम्पूर्ण 99 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा चाही गई। सहायक कलेक्टर द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् तनकियात कायम कर सभी तनकियां विरूद्ध रेस्पोडेण्ट के मानकर विस्तृत तनकीवार निर्णय पारित कर रेस्पोडेण्ट का दावा 127/79 खारिज किया एवं अपीलाण्ट का दावा संख्या 46/83 डिक्री कर खसरा नंबर 281/2 रकबा 40 बीघा में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत रेस्पोडण्ेट को पाबंद किया। सहायक कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत तनकीवार निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें रेस्पोडेण्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने विक्रय विलेख को मौखिक साक्ष्य के आधार पर मानने में त्रुटि कारित

की है। क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है। जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त इन्द्राजों के संदर्भ में किसी प्रकार का दस्तोवजी साक्ष्य प्रकट नहीं किया है कि उक्त इन्द्राज किस आधार पर परिवर्तित हुए। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलेख की अनदेखी कर रेस्पोडेण्ट को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित करने में त्रुटि कारित की है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख के आधार पर अपीलाण्ट के राजस्व रिकार्ड में अंकन को नहीं मानने में त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी तनकियों पर विस्तृत विवेचन कर रेस्पोडेण्ट का वाद खारिज किया है एवं अपीलाण्ट का वाद डिक्री किया है, जो एक विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में आता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे विधिसम्मत आदेश को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

8— उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 16—10—2004 निरस्त किया जाता है। सहायक कलेक्टर, फलौदी का निर्णय व डिक्री दिनांक 24—6—2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) **(आर.डी.मीणा)**

सदस्य **सदस्य**